डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर 2001—कार्तिक 18, शक 1923

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर (छ. ग.)

फार्म-4

[नियम देखिए]

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

लोक न्यासों के पंजीयक बिलासपुर जिला के समक्ष जैसा कि आर्य धर्मशाला न्यास आर्य समाज गोड़पारा बिलासपुर तहसील बिलासपुर ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 12-9-2001 को विचार में लिया जावे. कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट में या संपत्ति में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना में प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभावक के माध्यम से या अभिकर्त्ता के माध्यम से मेरे

समक्ष में उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:	आर्य धर्मशाला न्यास पता आर्य समाज गोड़ापार तहसील व जिला-बिलासपुर
2.	चल संपत्ति	:	52435.20 एस.बी.आई.एस.ई.सी.एल. में जमा
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

सिरी करूण राजू,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2001

क्रमांक क/वाचक/अ.वि.अ./पंजीयन.—चूंकि श्री हरनारायण कश्यप, पिता स्व. मनीराम कश्यप वगैरह निवासी ग्राम नेवरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 27-11-2001 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेंट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने बाद प्रस्तुत किये गये आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री 1008 महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट नेवरा तह. तिल्दा जिला रायपुर

चल संपत्ति.	:	देवी श्रृंगार, फर्नीचर आदि	63190.00
		स्टेट बैंक आफ इंडिया नगद जमा राशि	44700.00
अचल संपत्ति	:	कृषि भूमि नेवरा तह. तिल्दा रायपुर अनुमानित कीमत-100000.00	

रमेश शर्मा,
पंजीयक.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.